69

राजस्व मण्डल ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, रीवा, जिला रीवाम0प्र0,

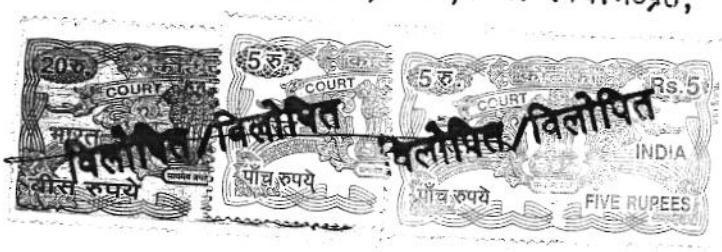

20रु. COURT 5रु. COURT 5रु. COURT Rs.5 विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित INDIA बीस रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

R-5023-II/17 PS-301-

शिवनाथ तनय सहदेव साकेत निवासी ग्रामसिगटी तह0 हनुमना जिलारीवा म0प्र0

----- अपीलांट / निगरानीकर्ता

बनाम

1- अमोल पाण्डेय पिता श्री राजकरण पाण्डेय नाबा0 बली संरक्षक राजकरण पिता पदमास प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम सिगटी तह0 हनुमना जिलारीवाम0प्र0

------- अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एड द्वारा पेश। 17-1-17 रजिस्ट्रार 17/1/17

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार हनुमना जिलारीवाम0प्र0 के प्र0क्र0-21अ70/पारित आदेश दिनांक - 16-12-2016,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नहैं :-

अ - यह कि आराजी खसरा क्र.-499 रकबा 3 ए0 44 डिस0 स्थित ग्राम सिगटी म0प्र0 शासन की भूमि है। आवेदक एक भूमिहीन श्रमिक कृषक है, उक्त भूमि पर आवेदक वर्ष 1973 से निरंतर मौके से काबिज होकर अपने हल बैल से आज दिनांक तक मौके से काबिज होकर श्रमिक काश्तकार की हैसियत से कृषि कार्य करते चला आ रहा है।

ब - यह कि आवेदक क्योंकि श्रमिक काश्तकार है, व भूमिहीन है, उसके पास कृषि कार्य करने के लिये स्वंय की पटटे की भूमि न होने की वजह से म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधि0- 1984 के तहत आवेदक को शासन के द्वारा अधिकृत अधिकारी तहसीलदार के द्वारा आवेदक को उक्त भूमि का श्रमिक काश्तकार की हैसियत से प्रकरण क्र.- 9 अ19 / 88-89 पर पंजीबद्ध कर आवेदक के पक्ष में दिनांक 30-1-89 को आदेश पारित किया गया, और उक्त आदेश के पारित हो जाने से आवेदक उक्त भूमि का मालिक भूमिस्वामी हो गया।

क:

शिवनाथचमार

69

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5023-दो/17 जिला रीवां

शिवनाथ साकेत विरूद्ध अमोल पाण्डेय

1	2	3
17.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~ तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 21/अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 16-12-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवां के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	